संख्या- 9-2023-डीएफए-515878-38-7099-940-2019

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2023

http://shasanadesh.up.gov.in

विषयः- ग्रामों में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नाली एवं निकास हेतु आंतरिक सड़क निर्माण के संबंध में।

महोदय,

कृपया ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-30/2018/2006/38-7-2018-38नरेगा/2018,दिनांक 10-10-2018 एवं त म में पंचायती राज अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1896/33-3-2019-68/2019,दिनांक 14-08-2019 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-मनरेगा/पत्रा0सं0-519/1763/2019 दिनांक 28-08-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार पक्का खण्ड़न्जा/नाली निर्माण कार्य अभियान चलाकर कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि जल भराव के पानी की निकासी हेतु नाली एवं पर्याप्त सड़कों का न होना ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य समस्या है। वर्षा ऋतु में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को बहुत असुविधा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त आंतरिक गलियां उपलब्ध हो और जल भराव/जल प्लावक की स्थिति बिल्कुल भी न हो, के संबंध में व्यवस्था की जानी है। मनरेगा गाइडलाइन्स में उक्त समस्या के निदान हेतु निम्न प्राविधान किये गये हैं-

मनरेगा आपरेशनल गाइडलाइन 2013 के प्रस्तर-7.1.3- Rural Connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary.

मास्टर सर्कुलर 2022-23 के प्रस्तर-7.7 के बिन्दु-जी में ग्रामीण अवस्थापना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता -All weather rural connectivity(built to non-PMGSY road standards).

मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य 266 कार्यों की सूची क्रमांक-65- Drainage of Community waterlogged land.

अत: उक्त दोनों बिन्दुओं पर भी मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार कार्य होना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में श्रम-सामग्री अनुपात 60:40

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानित होने के कारण सामग्री मद सीमित ही रहेगा। इस सामग्री मद में नागरिक सुविधाओं के लिए आंतरिक सड़कों एवं जल प्रवाह हेतु नालियों का बनाया जाना प्राथमिकता पर वांछनीय है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गांव की नाली और आंतरिक सड़कों का आंकलन कर यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग इसी मद में हो और किसी भी दशा में ग्रामों में जल भराव या आंतरिक सड़कों का अभाव न होने पाये।

भवदीय,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

संख्या- 9-2023-डीएफए-515878-38-7099-940-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, कृषि एवं बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. निदेशक,पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,उ0प्र0
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

http://chasanadesh.up.gov.in